



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-28032023-244723
CG-MH-E-28032023-244723

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1383]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 28, 2023/चैत्र 7, 1945

No. 1383]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 28, 2023/CHAITRA 7, 1945

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुंबई, 28 मार्च, 2023

का.आ. 1436(अ).—केंद्रीय सरकार ने, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 10 मई 2022 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यां क्र. का.आ. 2174 (ई), तारीख 18 जुलाई 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को गुजरात राज्य के राजकोट जिले में राजकोट-कानालुस ब्रॉड गेज इकहरी लाइन का दोहरीकरण परियोजना नाम की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिये अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, जबकि, उक्त अधिसूचना का सार दैनिक स्थानीय समाचार पत्र 'संदेश' दिनांक 18/05/2022 और टाइम्स ऑफ इंडिया, दिनांक 18/05/2022 में उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के तहत प्रकाशित किया गया था, और जबकि, आपत्तियां प्राप्त हुई थी जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है।

और, जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उप-धारा (आई) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने केंद्र सरकार की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

अब, इसलिए, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उप-धारा (आई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार यह घोषणा करती है कि यहां संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अधिग्रहण उपर्युक्त उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

और इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उपधारा (2) के अनुसरण में, केंद्र सरकार यह घोषणा करती है कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि सभी भारों से मुक्त होकर केंद्र सरकार में निहित होगी।

अनुसूची

विषय: विशेष रेलवे परियोजना के लिए संरचना के साथ या उसके बिना अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण अर्थात्: गुजरात राज्य में ब्रॉडगेज सिंगल लाइन का राजकोट-कनालस दोहरीकरण

राज्य: गुजरात जिला: राजकोट

क्रम संख्या	सर्वेक्षण सं.	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	भूमि मालिक/इच्छुक व्यक्ति का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुका: पड़धरी					
गाँव: रामपर मोटा					
1	132	निजी	कृषि	462.00	महेश हंसराजभाई रानीपा
2	133	निजी	कृषि	1166.00	हंशराजभाई परसोत्तमभाई
3	136	निजी	कृषि	1068.00	वसंत पुरुषोत्तम रानीपा
4	324	निजी	कृषि	430.00	गोरधनभाई चनाभाई
5	323	निजी	कृषि	358.00	दिनेशभाई मोहनभाई कसुंद्रा
6	554/1	निजी	कृषि	430.00	धनजीभाई वालजीभाई कसुंद्रा
7	554/2	निजी	कृषि	368.00	धनजीभाई वालजीभाई कसुंद्रा
8	556	निजी	कृषि	565.00	जसुबेन पीताम्बरभाई कसुंद्रा
9	557	निजी	कृषि	2477.00	प्रभावेन धनजीभाई कसुंद्रा
10	558	निजी	कृषि	102.00	देवशीभाई करमनभाई तिमबाडिया
कुल				7426.00	

[फा. सं. E-Office E-390888-1]

फतेह सिंह मीना, मुख्य परियोजना प्रबंधक- II (निर्माण) अहमदाबाद

MINISTRY OF RAILWAYS

[Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Mumbai, the 28th March, 2023

S.O. 1436(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board) (published in the Gazette of India, under notification No, 2174 (E) of dated 10/05/2022, Extra Ordinary Part II Section 3 Subsection (ii) (here in after referred to as the said notification) under subsection (I) of

section 20 A of the Railway Act 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquired the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project, namely, Rajkot-Kanalus doubling of Broad Gauge single line in District Rajkot in the State of Gujarat.

And, whereas, the substance of the said notification was published in daily local newspaper ' Sandesh' Dated 18/05/2022 and " Times of India" dated 18/05/2022 under sub section (4) of section 20A of the said Act, and whereas, Objections have been received and disallowed by the Competent Authority.

And, whereas, in pursuance of sub-section (I) of section 20 E of the said Act, the competent authority has submitted its report of the Central Government.

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (I) of section 20 E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in pursuance of sub section (2) of section 20 E of the said Act, The Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Sub: Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely:
Rajkot-Kanalus doubling of Broad-Gauge single line in the state of Gujarat

State: Gujarat

District: Rajkot

Sr. No.	Survey No.	Type of Land	Nature of Land	Area of Land to be acquired (in sqm)	Name of Land Owner/interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluka : Paddhari					
Village : Rampar Mota					
1	132	Private	Agriculture	462.00	Mhaesh Hansrajbhai Ranipa
2	133	Private	Agriculture	1166.00	Hansrajbhai Pasotambhai
3	136	Private	Agriculture	1068.00	Vasant Pasotam Ranipa
4	324	Private	Agriculture	430.00	Gordhanbhai Chanabhai
5	323	Private	Agriculture	358.00	Dineshbhai Mohanbhai Kasundra
6	554/1	Private	Agriculture	430.00	Dhanjibhai Valjibhai Kasundra
7	554/2	Private	Agriculture	368.00	Dhanjibhai Valjibhai Kasundra
8	556	Private	Agriculture	565.00	Jasuben Pitambarbhai Kasundra
9	557	Private	Agriculture	2477.00	Prabhaben Dhanjibhai Kasundra
10	558	Private	Agriculture	102.00	Devshibhai Karmanbhai Timbadiya
Total				7426.00	

[F. No. E Office E- 390888-1]

FATEH SINGH MEENA, Chief Project Manager-II (Construction), Ahmedabad